प्रेस नोट
दिनांक 02.06.2024

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गैगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-42/2024, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त अनिल कुमार दूबे पुत्र शेषनरायन दूबे निवासी ग्राम दिरयापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा पड़री जाने वाली पारासराय नहर पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 02.02.2024 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक के लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0-42/2024, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, बनाम 01. बलराम तिवारी आदि 04 नफर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनाकं 02.06.2024 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त अनिल कुमार दूबे पुत्र शेषनरायन दूबे निवासी ग्राम दिरयापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को पड़री जाने वली पारासराय नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनिल कुमार दूबे पुत्र शेषनरायन दूबे निवासी ग्राम दिरयापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 042/2024, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कौशल किसोर सिंह
02. हे0का0 आलोक तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 02.06.2024, थाना कटराबाजार
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 184/2024 धारा 452, 354, 506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त सानू उर्फ कलामुद्दीन पुत्र साबित अली को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना कटराबाजार पर सूचना दिया कि दिनांक 27.05.2024 को विपक्षी द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरे साथ छेड़छाड़ किया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में मु0अ0सं0- 184/2024 धारा 452, 354, 506 भादवि बनाम सानू उर्फ कलामुद्दीन पुत्र साबित अली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 02.06.2024 को थाना कटराबाजार की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सानू उर्फ कलामुद्दीन पुत्र साबित अली निवासी नगर पंचायत कटरा बाजार वार्ड नंबर 14 पठान टोला थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सानू उर्फ कलामुद्दीन पुत्र साबित अली निवासी नगर पंचायत कटरा बाजार वार्ड नंबर 14 पठान टोला थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 184/2024 धारा 452, 354, 506 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार
02. का0 चन्द्रपाल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक- 02.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत नवीन गल्ला मण्डी बड़गांव स्थित स्ट्रांग रूम का किया गया निरीक्षण,

04 जून को मतगणना के दृष्टिगत किए गये सुरक्षा प्रबंध की स्थिति का लिया गया जायजा, सभी ड्यूटी प्वाइंटो का किया गया स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित अधि०/कर्मचारीगण को दिए आवश्यक दिशा निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 02.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत बनाये गये स्ट्रांग रूम स्थल नवीन गल्ला मण्डी बडगाँव का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व 04 जून को मतगणना के दृष्टिगत किए जा रहे सुरक्षा प्रबंध की स्थिति का जायजा लेकर सभी ड्यूटी प्वाइंटो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा- 01. आइसोलेशन कोर्डन, 02. इनर कोर्डन व 03. आउटर कोर्डन व मजबूत बैरिकेटिंग में लगे अधि०/कर्मचारीगणों को चेक कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को परखा गया। महोदय द्वारा 04 जून को होने वाली मतगणना में लगने वाले बैरियरों को चिन्हित कर मंडी परिषद के दोनो तरफ की पार्किग आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गयी।

महोदय द्वारा बताया गया की लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु समस्त तैयारिया पूर्ण कर ली गयी है। जिसके अन्तर्गत 04 महत्वपूर्ण बैरियर बनाया गया है। पहला बैरियर श्री महादेव पेंट्स के सामने मुख्य मार्ग (मिश्रौलिया ओवरब्रिज के आगे उतरने पर) व दूसरा बैरियर बड़गाँव चौराहा के पास बनाया गया है। जिन पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का दायित्व होगा कि मतगणना स्थल की ओर प्रत्याशी, प्रत्याशियों के एजेण्ट व चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मिक का पहचान पत्र व जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत पास चेक करने के उपरान्त ही उनको तथा उनके वाहनों को आगे जाने दिया जायेगा। तीसरा बैरियर महादेव धर्मकांटा के आगे वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के पास बनाया गया जो मिश्रौलिया ओवरब्रिज की तरफ से आने वाले प्रत्याशी, प्रत्याशियों के एजेण्ट व चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मियों को रोककर उनके लिए बनाये गये पार्किंग स्थल स्वामी नाथ महादेव मैरिज लॉन व इरम हॉस्पिटल मोड़ के तरफ खाली मैदान में ही पार्किंग करायी जायेगी। इस प्रकार बड़गाँव की तरफ से आने वाले चौथे बैरियर जय माँ जहजवा सम्मय महारानी के पास रोका जायेगा तथा उनके वाहनों को बनाये गये पार्किंग स्थल आदर्श सामदेव संस्कृत महाविद्यालय व जय माँ जहजवा सम्मय महारानी के बगल में खाली स्थान में ही पार्किंग करायी जायेगी। पार्किंग स्थल से गल्ला मण्डी मतगणना स्थल तक 150 मीटर परिधि तक किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णरूप से निषेध रहेगा। पुलिस बल द्वारा उक्त क्षेत्र में केवल पास धारक प्रत्याशी अथवा अन्य व्यक्तियों जिसमें मतगणना अधि0/कर्मचारी, मतगणना एजेंट को जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत पास चेक करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगी। मतगणना स्थल पर पान, मसाला, सिगरेट, माचिस, इलेक्ट्रानिक डिवाइस व ज्वलनशील पदार्थ ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार की जुलूस/रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी मतगणना कर्मचारी, प्रत्याशी, प्रत्याशी एजेंट या अन्य किसी का मोबाइल फोन अंदर ले जाना पूर्णतया मना है। मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 05 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, 25 निरीक्षक, 164 उ0नि0, 07 महिला उ0नि0 सहित करीब 1250 पुरुष एव महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या के पीएसी व सीएपीएफ के जवानों की भी तैनाती की जायेगी। LIU द्वारा भी अवांछनीय/अराजक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी। मतगणना के दृष्टिगत 03 क्यू0आर0टी0 का गठन किया गया है जो दंगा नियन्त्रण उपकरणों से सुसज्जित होंगी। 01 क्यूआरटी मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर, द्वितीय क्यू0आर0टी0 को बडगाँव चौराहे तथा तृतीय क्यू0आर0टी0 को मिश्रौलिया चौराहे पर लगाई जाएगी। आइसोलेशन कॉर्डन में समस्त मतगणना हाल के सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी के रूप में 04 DySP स्तर के अधिकारीयों की ड्यूटी लगाई गई है जिनमे क्षेत्रधिकारी कर्नलगंज श्री चंद्रपाल शर्मा , क्षेत्रधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा , क्षेत्रधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह , तथा प्रशिक्षु क्षेत्रधिकारी सुश्री नित्या गोस्वामी की ड्यूटी लगाई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय इनर कोर्डन के प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत सम्पूर्ण मतगणना/आउटर कोर्डन के प्रभारी होंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा फायर सर्विस की गाड़ी का व्यवस्थापन सुनिश्चित कर लिया

गया है तथा मानक के अनुसार ड्यूटी लगायी जायेगी। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ज्वलनशील वस्तुओं व तेल गैस या शार्ट सर्किट से लगने वाली आग पर नियत्रंण स्थापित करने वाले समस्त प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित होगे।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।